यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/32/2018 **दिनांक :** 30.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

संसद द्वारा उपदान अधिनियम में संशोधन

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/46/2018/9 दिनांक 29.03.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **संसद द्वारा संशोधित और राजपत्रित किया गया उपदान अधिनियम**
- **श्रम मंत्रालय ने भी अपनी अधिसूचना जारी की**
- **उपदान अधिनियम के तहत अधिकतम रू0 20 लाख तक संशोधित**
- **पात्रता 29.03.2018 से प्रभावी**

उपदान अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा में संशोधन तथा वृद्धि केन्द्रीय श्रम संगठनों की महत्वपूर्ण माँग रही है। यह सार्वभौम माँग पत्र के अन्तर्गत माँगों में से एक थी। 2.9.2015 तथा 2.9.2016 को, राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन द्वारा तय किए गए इस सार्वभौम माँग पत्र पर सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग ने हड़ताल की। 15 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने हड़ताल की। हमें गर्व है कि एआईबीईए तथा एआईबीओए इस हड़ताल में शामिल हुए। इसे यूएफबीयू की हड़ताल नहीं माना जा सकता क्योंकि कुछ यूनियनें इन हड़तालों में शामिल होने के लिए सहमत नहीं थीं।

लेकिन 28.2.2017 तथा 22.8.2017 को यूएफबीयू की हड़ताल में यह माँग शामिल थी।

जारी पृष्ठ 2

श्रमिक वर्ग द्वारा इन बड़े पैमाने की हड़ताली कार्यवाहियों के फलस्वरूप, सरकार रू0 20 लाख तक अधिकतम सीमा में वृद्धि के लिए सहमत हुई। हालांकि, इसे उपदान अधियम के आवश्यक संशोधन तथा संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता थी।

तद्नुसार, सरकार विधेयक लाई लेकिन यह संसद सत्र के अन्तिम चरण में पारित नहीं हो सका। अब विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संशोधन के अनुसार, राशि में संशोधन के लिए हर बार संसद पहुंचने के बजाय सरकार को अधिनियम के तहत उपदान राशि की अधितम सीमा संशोधित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है।

हमें प्रसन्नता है कि संसद द्वारा अनुमोदित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई है और आज इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

हम यह सूचित करते हुए और भी प्रसन्न हैं कि इस संशोधन के आधार पर, श्रम मंत्रालय ने रू0 20 लाख तक अधिकतम सीमा संशोधित करते हुए और बढ़ाते हुए अपनी अधिसूचना जारी कर दी है जो 29.03.2018 से प्रभावी है।

इसलिए सभी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो आज (29.3.2018) से बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी उपदान पात्रता की गणना (i) बीपीएस/ओएसआर (अधिकतम सीमा के बिना) के तहत तथा (ii) उपदान अधिनियम के संशोधित प्रावधानों (अधिकतम रू0 20 लाख) के तहत होगी और दोनों में से जो भी अधिकतम होगा वह देय होगा।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री